

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO)

दालत.....

मुकाम.....

जोगाण

बनाम.....

रुद्रानाथ कोठ

किस्म मुकदमा.....

राजस्व आवेदन

नं.....

16 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/11/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री .....  कुम्भकिंद चौरा</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा .....  111/128</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।  जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मान  तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक .....  11/2/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">विश्वनाथ  सहायक कलक्टर (SDO)  बायतु</p>	<p>19  9/11/2020</p>
11/2/2020	<p>प्रार्थी वकील उपरोक्त विप्रार्थीगणों  के नोटिस तामील शुदा प्राप्त, जिले  शामिल पत्रावली किजा बाणा, पीठासीन  अधिकारी महोपम को पहर बाद वीर  कार्मों में व्यस्त होने से पत्रावली कि  17/3/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">विश्वनाथ  सहायक कलक्टर  (SDO) बायतु</p>	



11/3/2020

प्रार्थी वकील उपर विप्राथीगण अनुपाधिक  
 न्यायालय समय में तीन बार आवानु लगाई  
 अंतिम आवानु 5.45 pm पर लगाई गई, विप्राथी  
 स्वयं या उसके ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित  
 नहीं हुआ जिसका उनके इलाफ रकम चरफा कार्रवाई  
 अमल में लाई जाती है प्रार्थी वकील की रकम परकीय वकील  
 सुनी गई, प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं  
 विप्राथीगण की खोले वाली अमि खेड़ा से 6 आर्डि हुए हैं।  
 तथा खेड़ा के बीच फुटानी माडे एवं कणे के हुए हैं जो  
 आधिप्रा की वजहसे खिच गए हैं जिले के थानी को  
 ठपरी छोलेसी अमि की लीमिठों का उही सम नहीं दे  
 पा रहा है। वर्णन होने पर लीमिठों के अमल में  
 विप्राथीगण थानी की अमि में खेरी कर लेते हैं जिले  
 पुश्कोट के बीच चना जा बना रहते हैं इसलिए थानी  
 को ठपरी छोलेसी अमि की परकी नेपमवंदी कापार  
 आवश्यक है इसलिए थानी का आवेदन स्वीकार का  
 परकी नेपमवंदी का आदेश किया जाये।

अतः प्रार्थी का नेपमवंदी आवेदन  
 स्वीकार किया जाकर तहसीलवार वायु को कमीशनर  
 एवं सहायक अ.अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर  
 नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता है कि आप  
 स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खेड़ा की  
 परकी नेपमवंदी सिके पर कमीशनर शुल्क 500/-  
 जमा कराकर कर पालना रिपोर्ट पेश करने पर  
 शामिल पत्रावली एवं पत्रावली फील शुम्माको  
 फर्निशर ले कम ले दारिखत फर्नर हो।

विजय न्याय

17.3.2020

सहायक कलक्टर  
 (SDO) वायु

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 309

दिनांक:- 17/3/2020

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जोगाराम पुत्र खेराजराम जाति जाट  
निवासी मेहराजोणियों की बेरी बाटाडू तहसील बायतु  
बायतु  
जिला बाडमेर

1. हनुमानराम पुत्र रतनाराम वगैरा निवासी  
मेहराजोणियों की बेरी बाटाडू तहसील  
जिला बाडमेर


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 16 /2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा मेहराजोणियों की बेरी पटवार हल्का बटाडू तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नम्बर 1435 रकबा 27.07 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।


  
17.3.2020  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
(SDO) बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 310-15

दिनांक:-

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जोगाराम
4. विप्रार्थीगण श्री हनुमानराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिडा/बायतु/नागाणा।

  
17.3.  
उपखण्ड अधिकारी बायतु  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) बायतु